–: कार्यालय कलेक्टर, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) :–

।। आदेश।।

क्रमांक/7851/वि.लि.प्र./2017 बेमेतरा, दिनांक 07/02/2017

कार्यालय संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रायपुर के पत्र क्र./2995/स्था./संचा./1(2)/2016 रायपुर दिनांक 08.06.2016 निर्देश के तहत कार्यालय जिला खाद्य अधिकारी, बेमेतरा में रिक्त डाटा एण्ट्री आपरेटर के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से अधिरोपित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता	जाति प्रवर्ग	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना	चयनियत प्रवर्ग
1	2	3	4	5	6
01.	श्री विपीन कुमार पिता भुवनलाल	पथर्रा पो.आ. जिया, तहसील व जिला बेमेतरा	अ.जाति	कार्यालय जिला खाद्य शाखा, बेमतरा	अ.जाति (मुक्त)

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अन्तिम (Provisoinal) है। निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता, चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्ययीन है।
2. अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। चरित्र सत्यापन में विपरित टीप होने पर नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से ही निरस्त माना जावेगा।
3. पदभार ग्रहण करते समय समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रति प्रथम नियुक्ति पदस्थापना कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत प्रमाण पत्र जांच/सत्यापन में गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से निरस्त माना जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से समाप्त मानी जावेगी।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते जमा कराकर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकेगा।
6. नवनियुक्त कर्मचारी पर शासन द्वारा दिनांक 01 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण संबंधी सभी नियमों का पालन किया है।

R. Shukla

कलेक्टर

जिला–बेमेतरा(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 785 / वि.लि.प्र. / 2017 बेमेतरा, दिनांक 07/02/2017

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
4. आयुक्त दुर्ग संभाग को सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक कोष / लेखा दुर्ग को सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, बेमेतरा को सूचनार्थ।
7. जिला खाद्य अधिकारी, बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

R. Sh---- 6/2/17

कलेक्टर

जिला–बेमेतरा(छ.ग.)